



2026:AHC:125701

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 18314/2026

अंकुश @ काले

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : दीपक उपाध्याय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 848/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना- सेक्टर 63, जिला- गौतम बुद्ध नगर, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकी के संस्करण के अनुसार, शिकायतकर्ता/थाना प्रभारी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर असामाजिक तत्वों का एक समूह बनाया है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लूट, चोरी और हमले के माध्यम से आर्थिक लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक पर गैंगस्टर अधिनियम दो आपराधिक मामलों के आधार पर लगाया गया था, जो इस प्रकार हैं: मुकदमा अपराध संख्या 559/2025, धारा 309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कवि नगर, जिला गाजियाबाद और दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 211/2025, धारा 109(1), 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना मधुबन बापूधाम, जिला गाजियाबाद। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक संख्या 2 की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि दोनों आपराधिक मामलों में, संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को जमानत दी गई थी। वर्तमान मामले और गैंग चार्ट में उल्लिखित दो मामलों के अलावा, आवेदक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा 2/3 के तहत भी कार्यवाही शुरू की गई थी, किंतु अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 संख्या 820/2026 (नितिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और संख्या 846/2026 (सूरज यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में पारित आदेश 5.2.2026 और 6.2.2026 के अनुसार अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है, जबकि एक अन्य सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 35900/2025 (अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) (जमानत आवेदन के अनुलग्नक संख्या 3) में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुसार नियमित जमानत प्रदान की गई है। आवेदक 07.04.2026 से जेल में है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यात्मक दलीलों और इस तथ्य को नहीं झुठला सके कि इस न्यायालय ने आवेदक के साथ आरोपी अन्य लोगों को पहले ही अग्रिम जमानत/नियमित जमानत दे दी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया।

ऐसा लगता है कि गैंग चार्ट में दिखाए गए आपराधिक मामलों के आधार पर ही आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और अन्य मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है और वह 07.04.2026 से जेल में है, इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक अंकुश @ काले को उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो:-

- आवेदक को निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय में उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से न तो प्रलोभन देगा, न धमकी देगा और न ही कोई वादा करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्य उजागर करने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- वह जमानत की अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय में जमानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ दी गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।)

4 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"